

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/

दिनांक :

उपायुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
डूंगरपुर।

विषय : पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

विभागीय पत्रांक 8918-40 01.05.2020 द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे निम्नलिखित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-7 मे वर्णित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 4.80 लाख की जारी की जाती है-

जिला-डूंगरपुर

(राशि लाखो मे)

क्र.स.	पेयजल का नाम व स्थान	ग्रा.प.	प.स.	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टॉयलेट ब्लॉक निर्माण देव सोमनाथ मंदिर परिसर में	देवसोमनाथ	दोवडा	8918-40 / 01.05.2020	4.80	AEN/ DOVRA/ 208/18.01.2021	4.80

उपरोक्त कार्य हेतु राशि की व्यवस्था निम्नांकित स्वीकृतियों मे से करने की स्वीकृति जारी की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

क्र.स.	उपलब्ध राशि का विवरण	राशि लाखो मे
1	जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत पूंजीगत बचत राशि	2.85
2	जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत सामुदायिक भवन	0.32
3	275(1) मद अन्तर्गत अमेनिटीज फोर गुड गवर्नेन्स (143/2015-16)	0.52
4	275(1) मद अन्तर्गत सामुदायिक भवन (78/2018-19)	1.11
	योग	4.80

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही झाईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत निर्माण कार्य का सम्पादन अभियंताओ की देख-रेख मे गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
- स्वीकृत कार्यो का समय-समय पर third party inspection करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

5. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित कियेजावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sd
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/6133-41
प्रतिलिपी :-

दिनांक : 22/02/2021

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा उपरोक्त स्वीकृति अनुसार राशि रू. 4.80 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग डूंगरपुर को हस्तांतरित करे।
5. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति दोवडा जिला डूंगरपुर।
8. गार्ड फाईल।

S
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)